



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 128191

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 24047 सन् 2026

श्रीमती सलीना बी तथा 1 अन्य

.....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- सौरभ मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचियों ने प्रत्यर्थियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने तथा संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति की रिट के लिए प्रार्थना की है।
3. याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि याची संख्या 1 की जन्मतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार, 25.04.2006 है, जो यह दर्शाता है कि वह वयस्क है। याची संख्या 2 के संबंध में, भारत संघ द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति संलग्न की गई है, जो यह दर्शाता है कि वह भी वयस्क है। रिट याचिका के साथ दिनांक 09.06.2026 के निकाहनामा तथा ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म की प्रति संलग्न की गई है।
4. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 क्रि.एल.जे. 3309 के मामले में**, अंतर्जातीय विवाह करने वाले लड़के तथा लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के मामले पर विचार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस प्राधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए:-

"यह एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह जिसे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह को स्वीकृति नहीं देते हैं, तो अधिकतम वे यह कर सकते हैं कि पुत्र या पुत्री से सामाजिक संबंध विच्छेद कर लें, किंतु वे धमकी नहीं दे सकते या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते अथवा उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़ित नहीं कर सकते। अतः, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की किसी वयस्क स्त्री या पुरुष के साथ अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा उत्पीड़ित न किया जाए, न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाए, तथा जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या उत्पीड़ित करता है या स्वयं अथवा अपने उकसावे पर हिंसा के कृत्य करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा दांडिक कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यवाही की जाए तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि द्वारा उपबंधित कठोर कार्यवाही की जाए।"

5. भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 में यह अभिनिर्धारित किया:-

"28. अक्सर प्रेम करने वाले युवा दंपतियों को कंगारू अदालतों के प्रकोप से बचने हेतु पुलिस लाइनों या संरक्षण गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि "सम्मान" हत्याओं में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, तथा वे संकीर्ण मानसिकता एवं सामंती विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा की गई बर्बर तथा क्रूर हत्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। हमारी राय में सम्मान हत्याएं, चाहे किसी भी कारण से हों, दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं जो मृत्युदंड के योग्य



हैं। इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को समाप्त करने का समय आ गया है जो हमारे राष्ट्र पर एक कलंक हैं। ऐसे अशोभनीय, असभ्य आचरण हेतु निवारक के रूप में यह आवश्यक है। जो भी व्यक्ति "सम्मान" हत्याएं करने की योजना बना रहे हैं उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि फांसी का फंदा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।"

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपर्युक्त अभिनिरीक्षण तथा निर्देशों का उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवर्तन किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचियों की मात्र आशंका है कि निजी प्रत्यर्थागण हिंसा का कृत्य कर सकते हैं और/अथवा याचियों को उत्पीड़ित कर सकते हैं।
7. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका इस निर्देश के साथ अंततः निस्तारित की जाती है कि याचीगण, विवाहित दंपति होने के नाते, साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण निवास में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचियों के शांतिपूर्ण निवास में कोई विघ्न उत्पन्न होता है, तो याचीगण इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
8. याचियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त विवाह उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आज से दो माह के भीतर पंजीकृत कराया जाए और यदि याची निर्धारित अवधि के भीतर विवाह पंजीकृत कराने में असफल रहते हैं, तो इसके द्वारा प्रदत्त संरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विवाह की वैधता और/अथवा याचियों द्वारा दावा किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की सत्यता अथवा याचियों की सही आयु का न्यायनिर्णयन नहीं किया है। यह और स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश विधि के अनुसार संस्थित किसी कार्यवाही या वाद के विरुद्ध याचियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु पारित नहीं किया गया है।



10. चूंकि याचिका को प्रारंभिक चरण में ही निस्तारित किया जा रहा है, इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति, यदि आदेश तथ्यों को छिपाने या दबाने अथवा असत्य कथनों पर प्राप्त किया गया है, तो इसकी पुनर्विलोकन हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।
11. तथापि, यह आदेश पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष लंबित किसी जांच, यदि कोई हो, के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा।
12. यदि याचियों द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 4 की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जा रहा है, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए इस आदेश के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना खुला रहेगा।।

(श्री कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026

प्रशांत डी.